

274

म/निग०/सीधी/2017/4555

282

न्यायालय श्रीमान् आयुक्त महोदय राजस्व मंडल ग्वालियार श्रृंखला
न्यायालय रीवा, जिला रीवा (म०प्र०)



श्री आ.के.देवपांडेय

म/20-11-17

कलेक्टर ऑफ कोर्ट
राजस्व मंडल म० प्र० ग्वालियार
(सर्किट कोर्ट) रीवा

1. शेष मोहम्मद तनय मुराद वक्स उम्र 65 वर्ष पेशा खेती,
 2. मुस० कैरी बेबा अब्दुल सत्तार उम्र 52 वर्ष पेशा खेती,
 3. अब्दुल हन्नान तनय अब्दुल सत्तार उम्र 25 वर्ष पेशा खेती,
 4. अब्दुल कलाम तनय अब्दुल सत्तार उम्र 15 वर्ष पेशा पढ़ाई,
 5. अब्दुल इस्लाम तनय अब्दुल सत्तार उम्र 12 वर्ष पेशा पढ़ाई,
 6. राजू उर्फ मुक्तार हुसैन तनय अब्दुल सत्तार उम्र 22 वर्ष पेशा खेती,
- अपीलार्थी क्रमांक 4, 5 नावालिक बली संरक्षिका माता मुस० कैरी बेबा पत्नी अब्दुल सत्तार उम्र 52 वर्ष सभी निवासी ग्राम कुनझुनकला तहसील बहरी जिला सीधी (म०प्र०) _____ अपीलार्थीगण

बनाम

1. रहीम वक्स तनय फरदन वक्स मुसलमान,
निवासी ग्राम कुनझुनकला तहसील बहरी जिला सीधी (म०प्र०)
2. सीताराम तिवारी तनय श्री समयलाल तिवारी,
निवासी ग्राम बदैला (मयापुर) तहसील बहरी जिला सीधी (म०प्र०)
3. अजीमुल्ला बक्स तनय सुभाम बक्स,
निवासी ग्राम कुनझुनकला तहसील बहरी जिला सीधी (म०प्र०)

_____ उत्तरदाता/अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध न्यायालय
श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय
सीधी जिला सीधी (म०प्र०) के
प्रकरण क्रमांक 230/निगरानी
/2011-2012 मे पारित आदेश
दिनांक 18.09.2017।

M


Spandey
28/9/17

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक II/निग0/भू-रा0/2017/4555

जिला-सीधी

शेख मो0/रहीम बक्स

(1)	(2)	(3)
24.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अनूप देव पाण्डेय उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला सीधी प्रकरण क्रमांक 230/निगरानी/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 18.09.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 16.07.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">  (बी.एम.शर्मा), सदस्य </p>	